मैसर्स ओएसिस ग्रीन फ्यूल प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–जलोदी, ठीकरियां कलां एवं छपावदा, तहसील–तालेड़ा, जिला–बून्दी (राज.) द्वारा अनाज आधारित डिस्टिलरी उद्योग (Grain Based Distillery Plant) वर्तमान क्षमता 180 KLD (Ethanol) से बढ़ाकर 380 KLD (180 KLPD Ethanol & 200 KLPD RS/ENA/Ethanol) एवं सहउत्पादन ऊर्जा संयत्र क्षमता 4.5 मेगावॉट से बढ़ाकर 10 मेगावॉट करने से सम्बन्धित प्रस्तावित परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व जन सुनवाई का कार्यवाही विवरण

मैसर्स ओएसिस ग्रीन फ्यूल प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–जलोदी, ठीकरियां कलां एवं छपावदा, तहसील–तालेड़ा, जिला–बून्दी (राज.) द्वारा अनाज आधारित डिस्टिलरी उद्योग (Grain Based Distillery Plant) वर्तमान क्षमता 180 KLD (Ethanol) से बढ़ाकर 380 KLD (180 KLPD Ethanol & 200 KLPD RS/ENA/Ethanol) एवं सहउत्पादन ऊर्जा संयत्र क्षमता 4.5 मेगावॉट से बढ़ाकर 10 मेगावॉट करने से सम्बन्धित प्रस्तावित परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं समय–समय पर संशोधित अधिसूचनाओं के प्रावधानों की अनुपालना मे तथा कार्यालय जिला कलेक्टर, बूंदी के पत्र क्रमांक पत्रांक प.12–12( )राजस्व/2025/9383–91 दिनांक 13.11.2025 (संलग्नक–अ) के अनुक्रम मे दिनांक 23.12.2025 को प्रातः 11:00 बजे, स्थान भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत–बाजड़, पंचायत समिति–तालेड़ा, तहसील–तालेड़ा, जिला–बून्दी में श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा, जिला–बून्दी (राज.) की अध्यक्षता मे आयोजित की गयी।

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई निम्न अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित की गयीः–

1. श्रीमती मनस्वी नरेश, उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा, जिला–बूंदी।
2. श्री शिव कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्ड़ल, बून्दी।

जनसुनवाई मे उपस्थित अधिकारीगण, जनप्रतिनिधि एवं क्षेत्र के ग्रामवासी व अन्य का उपस्थिति–पत्र मय हस्ताक्षर संलग्न है (संलग्नक–ब)। जन सुनवाई मे उपस्थित अधिकतर ग्रामवासियों ने उपस्थिति–पत्र पर हस्ताक्षर करने से मना किया। उक्त जन सुनवाई के लिए नियमानुसार राष्ट्रीय समाचार पत्र "द इण्डियन एक्सप्रेस" मे दिनांक 19.11.2025 और स्थानीय समाचार पत्र "बूंदी भास्कर" मे दिनांक 19.11.2025 को आम सूचना निर्धारित जन

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बून्दी (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा जिला बून्दी

Scanned with OKEN Scanner

सुनवाई से नियमानुसार 30 दिवस पूर्व प्रकाशित की गई थी, समाचार पत्रों की प्रतियाँ संलग्न है (संलग्नक–स)। जनसुनवाई की विडियो रिकोर्डिंग डी.वी.डी./पेन ड्राईव एवं फोटो ग्राफ संलग्न है (संलग्नक–द)।

श्रीमती मनस्वी नरेश, उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा की अनुमति से जन सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए श्री शिव कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी ने उपस्थित जन–समूह को जन सुनवाई के प्रावधानों, उद्देश्यों तथा महत्व के बारे में बताते हुए उपस्थित जनसमूह से यह अपील की कि वे परियोजना प्रस्तावक के सलाहकार द्वारा अनाज आधारित डिस्टलरी परियोजना क्षमता विस्तार व सह उत्पादन ऊर्जा संयत्र क्षमता विस्तार परियोजना के बारे में जो जानकारी दी जायेगी उसे सुने तत्पश्चात् यदि इसके बाबत कोई सुझाव/शिकायत/आक्षेप/आपत्ति हो तो कृपया सबसे पहले अपना परिचय दे जिसमें आपका नाम तथा गाँव आदि बतावें साथ ही अपना सुझाव/शिकायत/आक्षेप/आपत्ति जो भी हो लिखित अथवा मौखिक जैसा आप उचित समझे हमें दे सकते है।

उन्होने यह भी अवगत कराया कि इस जन सुनवाई के दौरान आप द्वारा जो भी सुझाव/शिकायत/आक्षेप/आपत्ति दी जायेगी चाहे वह लिखित हो या मौखिक हो उसे हम कलमबद्ध करेंगे तथा जन सुनवाई में होने वाली कार्यवाही की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी भी की जा रही है। हम आपके लिखित/मौखिक रूप में प्राप्त सभी सुझाव/शिकायत/आक्षेप/आपत्ति कलमबद्ध करके वीडियो रिकोर्डिंग मय फोटोग्राफ्स के साथ कार्यवाही विवरण (Minutes of Meeting) बनाकर नोटिफिकेशन के अनुपालना स्वरूप वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित करेंगे।

तत्पश्चात् क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्ड़ल, बून्दी ने परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तावित अनाज आधारित डिस्टलरी परियोजना क्षमता विस्तार व सह उत्पादन ऊर्जा संयत्र क्षमता विस्तार परियोजना के बारे में प्रजेन्टेशन के माध्यम से उपस्थित जनसमूह को अवगत कराने हेतु आमंत्रित किया।

इसके पश्चात ओएसिस ग्रीन फ्यूल प्राइवेट लिमिटेड के पर्यावरणीय सलाहकार मैसर्स जे.एम. एन्वायरोनेट प्राईवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि श्री दिनेश सिंह ने प्रस्तावित अनाज

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बून्दी (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा जिला बून्दी

Scanned with OKEN Scanner

आधारित डिस्टिलरी उद्योग (Grain Based Distillery Plant) वर्तमान क्षमता 180 KLD (Ethanol) से बढ़ाकर 380 KLD (180 KLPD Ethanol & 200 KLPD RS/ENA/Ethanol) एवं सहउत्पादन ऊर्जा संयत्र क्षमता 4.5 मेगावॉट से बढ़ाकर 10 मेगावॉट करने से सम्बन्धित प्रस्तावित परियोजना के बारे में उपस्थित जनसमुदाय को विस्तृत जानकारी पावर पॉइन्ट प्रजेन्टेशन के माध्यम से दी जिसमें परियोजना का परिचय देते हुए टी ओ आर की जानकारी, आधारभूत निगरानी और डेटा संग्रह, जन सुनवाई के लिए प्रस्तुत दस्तावेज प्रस्तुत करने की दिनांक, समाचार पत्र मे प्रकाशित विज्ञापन, संयत्र स्थल का विवरण, लोकेशन मैप, टोपोशीट, निकटतम शहर एवं नगर, निकटतम राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग, निकटतम रेल्वे स्टेशन, निकटतम हवाई अड्डा, 10 कि.मी. त्रिज्या क्षेत्र में जल निकायों की जानकारी, पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, बायोस्फेयर रिजर्व, बाघ/हाथी रिजर्व, वन्यजीव गलियारे, नदी की जानकारी, भूकंपीय क्षेत्र, 10 कि.मी. त्रिज्या क्षेत्र का मानचित्र, कुल संयत्र क्षेत्र, हरित पट्टिका/वृक्षारोपण क्षेत्र, परियोजना की लागत का विवरण, उत्पाद मिश्रण और उप-उत्पाद की जानकारी, कार्य दिवसों की संख्या, संयत्र लेआउट, कच्चे माल की आवश्यकता, ईंधन की आवश्यकता, परियोजना के लिए बुनियादी आवश्यकतायें, अनाज आधारित आसवनी का प्रक्रिया प्रवाह आरेख, माइक्रो मौसम विज्ञान की जानकारी, परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी, ध्वनि स्तर की जानकारी, भूजल नमूनाकरण, मृदा नमूनाकरण, वायु गुणवत्ता प्रबंधन, जल एवं जल अपशिष्ट प्रबन्धन, ध्वनि प्रबन्धन, ठोस एवं खतरनाक अपशिष्ट प्रबन्धन, हरित पट्टी विकास एवं वृक्षारोपण, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, सामाजिक-आर्थिक विकास की जानकारी आदि से सम्बधित जानकारी प्रदान की गई।

तत्पश्चात् श्री शिव कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्ड़ल, बून्दी ने उपस्थित जनसमुदाय को अपने सुझाव/विचार/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आमन्त्रित किया। उपस्थित जन-समुदाय द्वारा प्रस्तुत सुझाव/विचार/आपत्ति/आक्षेप का विवरण निम्नानुसार है:-

1. श्री नंद सिंह सोलंकी पुत्र श्री गुलाब सिंह निवासी ग्राम-छपावदा, तहसील-तालेड़ा, जिला-बून्दी ने कहा कि आपने अभी 33% वृक्षारोपण की बात कही है तो बताये कि क्षेत्र में पूर्व से ग्राम लाडपुरा में चल रही एथेनॉल में कितने पौधे लगाये गये ?

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बून्दी (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा जिला बून्दी

Scanned with OKEN Scanner

परियोजना प्रस्तावक के सलाहकार द्वारा उत्तर दिया गया कि हम अपने प्रोजेक्ट के विषय में आपको बता सकते है दूसरे उद्योग के बारे में नही बता सकतें।

श्री नंद सिंह ने कहा कि फैक्ट्री द्वारा लगभग 100 ट्यूबवेल लगाकर भूजल को उपयोग लिया जाएगा। पानी धार से चलेगा तो इतना पानी कहाँ से आयेगा/वर्तमान में क्षेत्र में भूजल का स्तर लगभग 150 फीट पर पहुच गया है। फैक्ट्री द्वारा अत्यधिक भूजल उपयोग में लिया जाएगा जिससे भूजल स्तर और अधिक नीचे चला जाएगा किसानों द्वारा बोरवेल से केवल छः घन्टे/प्रतिदिन ही कृषि कार्म हेतू भूजल का उपयोग किया जाता है।

परियोजना प्रस्तावक के सलाहकार द्वारा उत्तर दिया कि उद्योग ने भूजल उपयोग हेतू केन्द्रीय भूल प्राधिकरण से वर्तमान में निर्माणाधीन परियोजना के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त किया हुआ है। उन्होने CGWA की गाइड लाईन का उल्लेख करते हुए बताया कि CGWA की नई गाइड लाईन के नियम व शर्तो के आधार पर ही प्रस्ताविक उद्योग (क्षमता विस्तार हेतु) NOC ली जायेगी/मिलेगी यदि CGWA से NOC नही मिलती है तो भूजल का उपयोग नही किया जाएगा। फैक्ट्री NOC मे मिली सभी शर्तो की पालना करेगी और वर्षा जल संरक्षण के लिए कार्य करेगी।

जन सुनवाई में उपस्थित अधिकतर लोगों ने खडें होकर एक साथ फैक्ट्री को बन्द करने की मांग की व इस सम्बन्ध में एक साथ आवाज उठाई तथा उक्त परियोजना के संदर्भ में अपनी आपत्ति सामुहिक रूप से दर्ज करवाई।

2. श्री नाथूलाल बैरवा, संरपंच, ग्राम पंचायत–बाजड, तहसील–तालेडा, जिला–बून्दी ने अपनी बात रखनी चाही लेकिन तभी उपस्थित लोगो ने उक्त फैक्ट्री का विरोध शुरू कर दिया।

श्री शिव कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी ने जन सुनवाई मे उपस्थित लोगों से अपील करते हुए कहा कि एक–एक व्यक्ति अपनी बात रखें। ताकि उसे नोट किया जा सके तथा जन सुनवाई कार्यवाही में सम्मिलित कर सक्षम स्तर को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा सके।

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदया की समझाईस के बाद लोग अपने स्थान पर बैठ गये।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बून्दी (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा जिला बून्दी

Scanned with OKEN Scanner

3. जन समूह में से एक व्यक्ति ने अवगत कराया कि उद्योगो की वजह से चलने वाले वाहनों की वजह सें गांव के एक व्यक्ति की सडक दुर्घटना में मृत्यू हो चुकी है।

पुनः क्षेत्रीय अधिकारी ने कहा कोई व्यक्ति यदि लिखित में अपनी बात देना चाहता है तो दे सकता है ताकि उसे नोट किया जा सके तथा जन सुनवाई कार्यवाही में सम्मिलित कर सक्षम स्तर को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा सके।

4. श्री राम कल्याण मीणा पुत्र श्री नन्द लाल मीणा, निवासी ग्राम–बाजड़, तहसील–तालेड़ा, जिला–बून्दी द्वारा कहा गया कि सरकार द्वारा सिंचित क्षेत्र में जितनी भी फैक्ट्रीयों को अनुमति दी गयी है वह बिल्कुल गलत है क्योकि यह फैक्ट्रीया वहाँ लगनी चाहिए जहाँ कृषि उपजाऊ नही हो, जहाँ पानी की कमी हो वहाँ उद्योग लगायें जाने चाहिए। उन्होने एक पंक्ति कही 'बढ़तें मूहँ, घटते खलियान '। उन्होनें बताया कि ग्राम पंचायत ने उद्योग को जो NOC जारी की है वह गलत है। ग्राम पंचायत की मीटिंग बुलाये बिना, ही ग्राम पंचायत द्वारा NOC जारी कर दी गयी है।

श्री राम कल्याण मीणा ने चिन्ता व्यक्त की कि उद्योग के उपजाऊ भूमि पर स्थापित होने से कृषि की उपजाऊ भूमि में कमी आयेगी जिससे आने वाली पीढ़ीयो को इन्ही उद्योगों में मजदूरी करने पडेगी।

उन्होने बताया कि बून्दी से केशोरायपाटन के बीच लगभग 45 उद्योग इस तरह के प्रस्तावित हैं ऐसा उनके संज्ञान में है। यदि इतनें अधिक इस तरह के उद्योग इस क्षेत्र में लगेंगे तो लोग खाएंगें क्या ? बड़ें लोगो के पास तो बड़े–बड़े उद्योग व फार्म है।

उन्होने बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा जों NOC दी गयी है वह गलत है। NOC जारी करते समय सरपंच द्वारा ग्राम पंचायत को सूचित नही किया गया।

उन्होने अनुरोध किया कि गाँव की समस्या को सक्षम स्तर तक पहुँचाया जाए एवं जो उद्योग चालू हो गये है उन्हे भी बन्द कराने की कोशिश करों। इनसे जन–धन सबकी हानी है क्योंकि इन उद्योगो के शुरू होने से वायु प्रदूषण होगा, भूजल खराब हो जाएगा भूमि की उपजाऊ शक्ति प्रभावित होगी। फैक्ट्री आबादी क्षेत्र से 03 किलो मीटर दूर स्थापित होना चाहिए, यहाँ आबादी क्षेत्र में फैक्ट्री लगा दी गयी है। क्या सरकार के उच्च अधिकारी ने यहा

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बून्दी (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा जिला बून्दी

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक - अ

AEE

कार्यालय जिला कलक्टर बून्दी

संख्या - 148 दिनाँक :- 13/11/2005

आदेश

क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बून्दी के पत्र कमांक RPCB/RO BUNDI/PUB-158/537 date 06-11-2025 से आवेदक मैसर्स ओएसिस ग्रीन फ्यूल प्राईवेट लिमिटेड ईआरईए अधिसूचना 2006 के तहत पर्यावरणीय मंजूरी के लिए जन सुनवाई करने और " अनाज आधारित ड्रिस्टरी प्लांट के 180 केएलपीडी(इथेनाल) से 380 केएलपीडी(180 इथेनाल और 200 केएलपीडी आरएस/ईएनए /इथेनॉल)4.5 मेगावाट से 10 मेगावाट सह–उत्पादन बिजली संयत्र के विस्तार के लिए ग्राम जलोदी,ठीकरिया कंला छपावदा तहसील तालेडा में जन सुनवाई करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः पर्यावरणीय आपत्ति/अनापत्ति बाबत जनसुनवाई करने हेतु उपखण्ड अधिकारी,तालेडा को जिला कलक्टर का प्रतिनिधि मनोनीत किया जाता है तथा साथ ही भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र, बाजड पंचायत समिति तालेडा पर दिनांक 23.12.2025 को प्रातः 11.00 बजें सुनवाई हेतु स्थान व समय निर्धारित किया जाता है।

क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बून्दी EIA के अनुसार गजट में प्रकाशन करवाकर आपत्तियॉ प्राप्त कर जनसुनवाई का नियमानुसार प्रचार–प्रसार करने की कार्यवाही करेगें।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर,बून्दी

क्रमाँक – प.12–12( )राजस्व/2025/ 9383 - 91 दिनाँक 13/11/2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिला परिषद,बून्दी
2. अति0 जिला कलक्टर,बून्दी
3. उपखण्ड अधिकारी,तालेडा
4. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,बून्दी
5. विकास अधिकारी,पंचायत समिति तालेडा/तहसीलदार,तालेडा
6. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बाजड़ पंचायत समिति तालेडा
7. मैसर्स ओएसिस ग्रीन फ्यूल प्राईवेट लिमिटेड,ग्राम ठीकरिया कंला,जलोदी,छपावदा तहसील तालेडा जिला बून्दी
8. आदेश पत्रावली।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण प्राप्ति क्रमांक 882 दिनांक 13/11/25 बून्दी (राज.)

जिला कलक्टर,बून्दी

Validity unknown Signature valid

Digitally signed by Akshay Godara
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.11.1 14:50:57 IST
Reason: Approved

conversion,2022

RajKaj Ref No.: 18790441

संलग्नक : ब

जन सुनवाई उपस्थिति पत्रक

मैसर्स ओएसिस ग्रीन फ्यूल प्राईवेट लिमिटेड की अनाज आधारित डिस्टिलरी उद्योग (Grain Based Distillery Plant) वर्तमान क्षमता 180 KLD (Ethanol) से बढ़ाकर 380 KLD (180 KLPD Ethanol & 200 KLPD RS/ENA/Ethanol) एवं सहउत्पादन ऊर्जा संयत्र क्षमता 4.5 मेगावॉट से बढ़ाकर 10 मेगावॉट करने से सम्बन्धित प्रस्तावित परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति परियोजना हेतु आयोजित जन सुनवाई दिनांक 23.12.2025 (मंगलवार) को स्थान भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत–बाजड़, पंचायत समिति–तालेड़ा, तहसील–तालेड़ा, जिला–बून्दी में समय प्रातः 11:00 बजे में उपस्थित अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं नागरिकों का उपस्थिति पत्रकः–

क्र.स.	व्यक्ति का नाम	पता / विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1	Manasvi Naresh	SDM Taleda	[signature]
2	Shiv Kumar	R.O., RSPCB, Bundi	[signature]
3	अताउ	बूंदी	[signature]
4	महावीर सैनी	छपावदा	महावीर
5	लोकेश सिंह	डिकरीया कला	[signature]
6	सतीश	डिकरीया कलां	[signature]
7	राजेन्द्र	जनकादी	[signature]
8	शंकर	डिकरीया कलां	[signature]
9	नरेन्द्र	छपावदा	नरेन्द्र
10	चेतनाबाराह	बाजड़	[signature]
11	दिनेश मीणा	शम्भुपुरिया	दिनेश मीणा
12	देवेन्द्र सिंह	डीकरिया कला	[signature]
13	भंवरसिंह	छपावदा	भंवरसिंह
14	प्रदीप कुमार	डीकरिया कला	Pardeep Kumar

जन सुनवाई उपस्थिति पत्रक

मैसर्स ओएसिस ग्रीन फ्यूल प्राईवेट लिमिटेड,

ग्राम–जलोदी, ठीकरियां कलां एवं छपावदा, तहसील–तालेड़ा, जिला–बून्दी

जन–सुनवाई दिनांक 23.12.2025, समय प्रातः 11:00 बजे, स्थान– भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत–बाजड़, पंचायत समिति–तालेड़ा, तहसील–तालेड़ा, जिला–बून्दी

क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	पता / विभाग का नाम	हस्ताक्षर
15	चेतन क.	OEMIND Consultant (Noida)	[signature]
16	Manish Kushwaha	"	[signature]
17	मुकेश	जलोदी	[signature]
18	Roshan	ठिकरिया	[signature]
19	धनश्याम	ठिकरिया	[signature]
20	ब्रह्मानन्दजी	बाजड़	[signature]
21	हीरालालजी	छपावदा	[thumb impression]
~~22~~			
~~23~~			
~~24~~ 21	महावीर जी	बाजड़	[thumb impression]
~~25~~ 23	रामेश्वर	तालेड़ा	रामेश्वर
~~24~~ 24	दीपक	बाजड़	दीपक सैन
~~27~~ 25	दिलीप कुमार मीना	AEE, RSPCB, Bundi	[signature]
~~28~~ 26	कुलदीप लोधा	Assi. Ad officer, Sdm office Talera	[signature]
29			
30			
31			
32			
33			
34			

संलग्नक - प

Received in public Hearing.
AEE
23/12/2025

23/12/25

सेवामे,

श्री मान एस. डी एम मोहोदय

जिला बुंदी राजस्थान

विषय ; येथोनोल फेक्ट्रीयो से जो प्रदुषण होगा उसके खिलाफ आपति दर्ज करवाने बाबत

उपरोक्त विषय अन्तरगत निवेदन है की आपतिया निम्न प्रकार है ?

1: वायुप्रदुषण

2 : कर्षि उत्पादन में प्रभाव पड़ना

3 : येथोनोल फेक्ट्रीयो के द्वारा दूषित पानी से भूमिगत जल दूषित होना

4 : अधिक वाहनों की आवाजाही से दुर्घटना ग्रस्त एरिया होना

5 : फेक्ट्रीयो के आस पास आबादी एरिया होना

समस्त आपतिया को मदेनजर रखते हुए फेक्ट्रीयो की परमिशन रद्द की जाएं

बाजड पंचायत बडून्दा टिकरिया समस्त ग्राम वासी

समस्त ग्राम वासी

[Signatures]

P. T. O

Scanned with OKEN Scanner

मथुरालाल

Satish

दिलीप

रामपाल

पप्पू

रमेश मीना

चेतनगिर

रामेश्वर

आशाराम

लक्ष्मीनारायण

सत्यनारायण

शिवचरण

रामखिलाड़ी

महावीर प्रजापत

महावीर

भंवरलाल

विनोद मीणा

वार्ड पंच 2

केशव

जितेन्द्र मीणा

Ganesh

रामचरण

दीपक मीणा

प्रदीप मीणा

मोहनलाल

नाथूलाल

भरतराम

Scanned with OKEN Scanner

संजय बनपीलाल

जेकराजी

01577-153 – कांड

मकीट

रामलक्ष्मण

सुरेश कुमार

Scanned with OKEN Scanner

नत्थी संलग्न

23 12 2025

AEE
Received in Public Hearing
23/12/25

सेवा में,

श्रीमान प्रभारी महोदय,
राजीव गांधी सेवा केन्द्र बाबड़ जिला बूंदी

विषय:- ईथनाल प्लान्ट के 180 K.P.D.L से 380 K.P.D.L तथा 180 K.P.D.L से 200 K.P.D.L करने बाबत आपत्ति लिये जाने बाबत

महोदय,

समस्त उपखण्ड क्षेत्र तालेड़ा के आमजन की ओर से निम्न लिखित निवेदन है कि :-

यह कि उपखण्ड क्षेत्र तालेड़ा में ईथनाल प्लान्ट प्रस्तावित है जिसमें उपखण्ड तालेड़ा के ग्राम धनावदा, हिरारीमा बेला, गोपेली, जमोदी, नीलेड़ा चारणान, लाडपुर में प्लान्ट का कार्य प्रस्तावित है,

यह कि तालेड़ा उपखण्ड क्षेत्र चम्बल कमाण्ड एरिया होने के कारण इस क्षेत्र की जनता कृषि पर आधारित है, जो कि खरीफ की फसल को ट्यूबवेल की सहायता से सिंचित करती है खरीफ की सिंचाई के वक्त इस क्षेत्र का वाटर लेवल 200 फीट तक चली जाती है तथा पानी का मानक पीने योग्य भी नहीं रहता है तब विद्युत विभाग द्वारा विद्युत की सप्लाई रोटेशन प्रणाली से की जाती है ताकि सिंचाई हेतु खेतों में लगे हुये ट्यूबवेल एक साथ नहीं चले तब जाकर वाटर लेवल मेन्टेन होता है यहां पर यह आपत्ति है कि प्रत्येक ईथनाल प्लान्ट पर 100 बोरवेल (बोरिंग) प्रस्तावित है ऐसी स्थिति में जब इस क्षेत्र में प्रस्तावित समस्त प्लान्ट एक साथ संचालित होंगे तो वाटर लेवल गिर जायेगा जिससे किसानों को अपनी कृषि से वंचित होना पड़ेगा तथा पेयजल संकट उत्पन्न होगा।

कृ.प.उ.

Scanned with OKEN Scanner

२ यह कि ईथनाल प्लान्ट पर वाटर रिसाईकिलिंग प्रोसेस है जिसके तहत वेस्ट पानी को ड्रेन, नालों में प्रवाहित किया जायेगा जिससे वाटर प्रदूषण होगा क्योंकि नालों, ड्रेनों के माध्यम से किसान अपनी कृषि भूमि पर फसल कि सिंचाई करते हैं, प्रदूषित पानी से सिंचाई से फसल बर्बाद होगी

3. यह कि वर्तमान प्रत्येक प्रस्तावित ईथनोल प्लान्ट पर कार्य प्रगति पर है परन्तु किसी भी ~~प्ला~~ प्लान्ट पर ग्रीन बेल्ट को विकसित किये जाने बाबत किसी प्रकार कि पहल नहीं कि गई है क्योंकि ग्रीन बेल्ट विकसित होने से पूर्व ईथनाल प्लान्ट प्रोसेस को चालू करने कि अनुमति नहीं दि जानी चाहिये
अवश्य

4. वर्तमान में क्षेत्र में ग्राम लाडपुर में पिंगाक्ष बेवरेज प्रा०ली० ईथनाल प्लान्ट 180 के.एल.डी. क्षमता का प्रस्तावित है जो वर्तमान में चालू है उक्त प्लान्ट में मोनीटरिंग के अभाव में नियमों के विरुद्ध उत्पादन किया जा रहा है, तथा उक्त प्लान्ट पर वर्तमान में ग्रीन बेल्ट नहीं है, तथा गन्दा पानी ड्रेन में प्रवाहित किया जा रहा है, तथा पूर्ण रूप से नियम विरुद्ध उत्पादन किया जा रहा है।

5. यह कि क्षेत्र में पींगाक्ष बेवरेज प्रा० ली० लाडपुर में स्थापित है जो कि 180 के.एल.डी. क्षमता का है कि बार्डर ग्राम समीप के ग्राम लाडपुर, बालद, अनूपुरीया, जुवांसा, बडन्दा, ललुन्दा के निवासियों को सांस लेने में तकलीफ दे रहीहै जब उक्त प्लान्ट से यह हालात है तथा नये प्लान्ट जुवासा होने पर क्षेत्र के लोगो को जल, वायु प्रदूषण प्रभावित करेगा जिससे उनके जीवन जीने के मौलिक अधिकार से वंचित होना पड़ेगा।

Scanned with OKEN Scanner

3-

उक्त प्लान पूंजीपति वर्ग को ~~फा~~ फायदा पहुंचाने कि योजना है लेकिन एक वर्ग विशेष को लाभ देकर के आम जनता के जीवन से अधिक मूल्यवान नहीं है। ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा A.M.P. निरस्त किया जाना चाहिये। ~~तथा उक्त प्लान पर~~

अतः श्रीमान से आपसे प्रार्थना कर निवेदन है कि प्रस्तावित ड्रेनेज प्लान के A.M.P. निरस्त किया जावे।

समस्त क्षेत्र वासी
उपखण्ड नालछा
6378209695

जगदीश

[signature]

[signature]

[signature]

[signature]

घनश्याम

दीपक मीणा

श्याम सिंह

रामलखन मीणा

दिलीप

दिलीप मीणा

जगराम

U GRO Capital Limited

4th Floor, Tower 3, Equinox Business Park, LBS Road, Kurla, Mumbai 400070

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

E-AUCTION SALE NOTICE OF 30 DAYS FOR SALE OF IMMOVABLE ASSET(S) ["SECURED ASSET(S)"] UNDER THE SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 READ WITH PROVISO TO RULE 8 AND 9 OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described Secured Asset(s) mortgaged / charged to **U GRO Capital Limited** ("Secured Creditor"), the possession of which has been taken by the authorised officer of Secured Creditor, will be sold on **"As is what is"** and **"As is where is"** and **"Whatever there is"** on the date and time mentioned herein below, for recovery of the dues mentioned herein below and further interest and other expenses thereon till the date of realization of amount, due to Secured Creditor from the Borrower(s) and Guarantor(s) mentioned herein below. The Reserve Price, Earnest Money Deposit (EMD) and last date of EMD deposit is also mentioned herein below:

Sl. No.	Details of Borrower(s)/ Guarantor(s)	Description Of Secured Asset(S):	Details of Auction	
1	1.OM HARI HAR EDUCATIONAL SERVICES PVT LTD 2. VISHAL PALIWAL 3.SUDHEER SHARMA 4.PURVA PALIWAL LAN – HCFUDPSEC00001046909	**Property 1:-** All that part and parcel of the immovable property bearing Plot No. B-144, Scheme No. 10-B, Gopalpura Bye Pass RoadAll that part and parcel of the immovable property bearing Plot No. B-144, Scheme No. 10-B, Gopalpura Bye Pass Road, Jaipur Measuring Area 333.33 Sq. Yds. **Bounded as (Plot) North:** Plot No. B-143, **East:** - Park, **South:** Plot No. B-144-B & B-144-A, **West:** - Road.	Reserve Price	Rs. 4,38,98,437
			EMD	Rs. 43,89,844
			Last Date of EMD Deposit	22.12.2025
			Date of Auction	23.12.2025

Kindly note the time of the Auction will be between 11 am to 01 Pm with an incremental Value of Rs. 1,00,000/-, For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in U GRO Capital Limited/Secured Creditor's **website. i.e. www.ugrocapital.com or contact the undersigned at authorised.officer@ugrocapital.com**

Place: JAIPUR
Date: 19.11.2025

Sd/-(Authorised Officer)
For UGRO Capital Limited

AU SMALL FINANCE BANK LIMITED

INFORMATION NOTICE

The below mentioned Borrowers & Co-Borrowers are informed to remove their movable assets from the mortgaged property (mentioned in the below table) which is going to be sold by **AU Small Finance Bank Ltd. (A Scheduled Commercial Bank)** through auction proceeding under **SARFAESI Act. 2002,** otherwise the movable assets would be transferred to any rented location at their own cost and they will also be liable for any damage caused during the shifting, if it is not removed within 15 days. For other queries contact the concerning person as mentioned below.

Loan A/c No. & Name of the Borrower/ Co-Borrower/ Mortgagor/Guarantor	Detail of Mortgaged Property	Contact Person
(A/c No.) L9001060141491592 Sawai Lal (Borrower), Smt.Radha (Co-Borrower), Dinesh (Co-Borrower), Amar Chandra (Co-Borrower), Banshilal (Gaurantor)	Property Situated At- Patta No- 5524, Birai, Balesar,Dist- Jodhpur, Rajasthan **Admeasuring 1349 Sq.Ft**	RAMDEEN BISHNOI 9257088603
(A/c No.) L9001060113076416 Sawai Lal (Borrower), Smt.Radha (Co-Borrower), Dinesh (Co-Borrower), Amar Chandra (Co-Borrower), Banshilal (Gaurantor)	Property Situated:- Patta No 17, BOOK NO. 12, MISSAL NO. 02, VILL - Birai, TEHSIL - BALESAR, Dist - Jodhpur, Rajasthan. **Admeasuring 1674.5 Square Feet**	RAMDEEN BISHNOI 9257088603
(A/c No.) L9001060114685012 Sanwar Mal Jat S/O Ram Lal Jat (Borrower), Smt.Samta Devi Jat (Co-Borrower)	PROPERTY SITUATED AT- PATTA NO- 1, SANKLAP NO- 2, VILL- UPREDA, TEHSIL- BANERA, DIST- BHILWARA, RAJASTHAN **Admeasuring 1026 Sq.Ft.**	VIJENDRA PAL SINGH 9773358395
(A/c No.) L9001060114687755 MUKESH KUMAR GOUR S/O DURGA LAL GOUR (Borrower), RAMU GOUR S/O NEVA LAL GOUR (Co-Borrower), HANUMAN PRASAD TIRPATI S/O BAL MUKUND SHARMA (Guarantor)	Property Situated Att WARD. NO.5 HOUSE. NO.35 SADAR BAJAR , GRAM PANCHAYT - GHAD DUNEE TEHSIL- DEOLI, DIST- TONK. RAJASTHAN **Admeasuring 93.33 Sqyds**	RAJKUMAR BAJIA 9116621297
(A/c No.) L9001060115713070 BANWARI LAL S/o CHHITAR MAL BHOORLA (Borrower), SMT. SARJU DEVI W/O CHHITAR MAL BHOORLA (Co-Borrower)	AABADI LAND SITUATED AT VILL.-BHUDLA, TEH.-BASSI, DISTT.- JAIPUR,RAJASTHAN. **Admeasuring 150 Square Yard**	SANDEEP SAIN 8905111443
(A/c No.) L9001060716308822 Ajad Hussain S/O Anwar Husain (Borrower), Smt.Sharina Khanam W/O Ajad Husain (Co-Borrower)	PROPERTY SITUATED AT- SHOP NO- 38/37, KRISHI, PHAL & SABJIMANDI YARD, DIST- BARAN, RAJASTHAN **Admeasuring 27.78 Sqyds**	VINOD SHARMA 9116621170
(A/c No.) L9001060826477155 & L9001060116912262 R G Agency (Borrower),	Property Paper Situated At- Khasra No. 113/4, Vill- Hemaliyavas Kalan, Th-	NARENDRA SINGH DEORA

PUBLIC NOTICE

Small Industries Development Bank of India
Branch Office Bhilwara (Rajasthan)

We Would Like to inform the General public that Original (Sale/transfer/Gift) Registered Sale Deed Executed By Shri Ramesh Chandra Mundra S/o Shri Nathu lal Mundra in favour of Shri Gopal Jhanwar S/o Nanu Ram Jhanwar R/o Mandal Dist Bhilwara dated 30.03.1991 Registered on dated 05.04.1991 which pasted in Book no. 01 Zild no. 325 Page no. 70 seriol No. 470 in SR Office bhilwara Have been lost and untraceable Further SIDBI Bhilwara intend to mortgage the above property if any person/Financial Institution find it or claims any interest or title in the said property is requested to contact (77749449094, 01482454713) SIDBI Bhilwara within 7 days from the date of publication. After that on any claims/Obiection will be entertained by SIDBI Bhilwara.

Sd/-
Chandra Prakash Singhvi
Advocate
Bhilwara

VASTU FINSERVE INDIA PRIVATE LIMITED

A Private Limited Company Incorporated under the Companies Act, 2013
Date of Incorporation: 28.09.2018;

CIN: U65990MH2018PTC314935, Registered & Corporate Office: Unit Nos. 203 & 204, 2nd Floor, A wing, Navbharat Estates, Zakaria Bunder Road, Sewri (West), Mumbai - 400015
Toll Free No.: 1800 22 0001; Email: Secretarial@vastufinserve.com

CLOSURE OF BRANCH OFFICE

The Branch office of Vastu Finserve India Private Limited (Company) situated at Alwar, as mentioned below shall be closed from **25th February, 2026:**

Branch Address	42, Scheme no 3, Gayatri Tower, Vasant Vihar, Alwar, Rajasthan 301001

The Premises will remain operational till 24th February, 2026. From 25th February, 2026 onwards, all transactions / customer service requests of the Company should be sent to other existing Branch address at property at **2nd Floor, F 300, Marudhar Palaza, Shyam Nagar New Sanganer Road, Jaipur, Rajasthan 302019**
In case of any queries, you may contact us at: customercare@vastufinserve.com
Address: Unit Nos. 203 & 204,.2nd Floor, A wing, Navbharat Estates, Zakaria Bunder Road, Sewri (West), Mumbai 400015

Date: 19.11.2025
Place: Alwar

Authorised officer
Vastu Housing Finance Corporation Ltd

Regional Office:
Rajasthan State Pollution Control Board
Plot No- D-15. Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi
E-mail: rorpch.bundi@gmail.com
No-: RPCB/RO Bundi/PUB-158/1613 Date 14/11/25

LiFE Lifestyle for Environment

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है मैसर्स ओएसिस ग्रीन फ्यूल प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-जलोदी, ठीकरियां कलां एवं छपावदा, तहसील-तालेड़ा, जिला बून्दी (राज.) द्वारा अनाज आधारित डिस्टिलरी उद्योग (Grain Based Distillery Plant) वर्तमान क्षमता 180 KLD (Ethanol) से बढ़ाकर 380 KLD (180 KLPD Ethanol & 200 KLPD RS/ENA/ Ethanol) एवं सहउत्पादन ऊर्जा संयंत्र क्षमता 4.5 मेगावॉट से बढ़ाकर 10 मेगावॉट करने से सम्बन्धित प्रस्तावित परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
2. चूंकि, मैसर्स ओएसिस ग्रीन फ्यूल प्राईवेट लिमिटेड को उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व जन सुनवाई की आवश्यकता है। उद्योग द्वारा पर्यावरणीय जनसुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
3. चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एसओ 1533 (ई) दिनांक 14.09.2006 एवं समय-समय पर संशोधनों के प्रावधानों के अनुसरण में जनसुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
4. उक्तपरियोजना से सम्बन्धित ड्राफ्ट पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख (हिन्दी व अंग्रेजी में) निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है -
I- कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी। II- निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240, द्वितीय तल, उ.प. (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
III-सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4. संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
IV- एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-209 व ए-218, अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर।
V -कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जिला बून्दी।
VI- कार्यालय महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, जिला बून्दी VII- कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा. जिला बून्दी।
VIII- कार्यालय पंचायत समिति, तालेड़ा, तहसील-तालेड़ा, जिला बून्दी।
IX -कार्यालय ग्राम पंचायत बाजड़, तहसील-तालेड़ा, जिला- बून्दी।
X -कार्यालय ग्राम पंचायत बडून्दा, तहसील-तालेड़ा, जिला- बून्दी।
XI -कार्यालय ग्राम पंचायत जमीतपुरा, तहसील-तालेड़ा, जिला- बून्दी।
XII-. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी, जिला बून्दी।

अत: सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी के पत्रांक प.12-12 ( ) राजस्व / 2025/9383-91 दिनांक 13.11. 2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सुचित किया जाता है कि उक्तपरियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित जन सुनवाई हेतु दिनांक 23.12.2025 (मंगलवार) को स्थान -भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत बाजड़, पंचायत समिति तालेड़ा, तहसील-तालेड़ा, जिला बून्दी में समय प्रात: 11:00 बजे उपस्थित होकर अपने लिखित एवं मौखिक आपत्ति / आक्षेप / सुक्षाव प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही इस सम्बन्ध में आपत्ति / आक्षेप / सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी (राज.) में भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

(शिव कुमार) क्षेत्रीय अधिकारी,

JM FINANCIAL ASSET RECONSTRUCTION COMPANY

(acting in its capacity as trustee of AC Retail September 2024 - Trust)
Corporate Identification No.: U67190MH2007PLC174287 Regd. Office: 7th Floor, Cnergy, App
Marg, Prabhadevi, Mumbai – 400025 Phone: + 91 22 6224 1676 **Website: www.jmfinan**

POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTIES

Whereas the undersigned being the Authorised Officer of the **JM Financial Asset Reconstruction Company Ltd.** (Herein afte
under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets & in compliance of Rule 8(1) of Enforcement of Security In
exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issu
the date mentioned against each account calling upon the respective borrower/s to repay the amount as mentioned against
days from the date of notice(s)/date of receipt of the said notice/s.
The borrower/s having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/s and the public in general that the
possession of the property/ies described herein below in exercise powers conferred on him/her under Section 13(4) of the sa
of the said Rules on the dates mentioned against each account.
The borrower/s in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property/ies and any dealing with
subject to the charge of **JM Financial Asset Reconstruction Company Ltd.**, for the amount and interest thereon as per lo

MUTHOOT

Regd. Offi
Thiru
U65929KL

Notice is hereby give
with under mentioned
other 6 months tenu
30.09.2025.Also thos
are also included in th
been redeemed so fo
10 am onwards.
Auction Date: 08.1
2100000132, 21000
2100000244, 21000
210001130, F8731.
DUNGARPUR: 210
2103000322, 21030
2103000436, 21030
2103000605, 21030
2103000691, 21030
2103000876, 21030
2103001082, 21030
2103001137, 21030
2103001175, 21030
210303240, 21030
08.12.2025 - RAJS
4165000118, 41650
416500997, 4165010
Auction will be con
not get completed
conducted on 19.1
BANSWARA: FIRS
M.G. ROAD, OPPO
DISTRICT - DUN
COLONY, OPPOSIT
RAJSMAND DIS
Bank,Collectriate R
are requested to pr
transfer the money

MUTHOOT

Regd. Offi
Thiru
U65929K

Notice is hereby give
with under mentione
other 6 months ten
30.09.2025.Also tho
are also included in t
been redeemed so f
10 am onwards.
Auction Date: 0
2093000073, 2093
209301644. **NI**
432301038. **Auctio**
UDAIPUR: 17130
1713000125, 1713
1713000456, 1713
171303110, 171303
171303210, 171303
171303325. **FATE**
1733000182, 1733
1733000266, 1733
17331487A. **SUNDI**
4461000351, 44610
Auction will be cor
not get complete
conducted on 19.1
CHITTORGARH:
MAHARANA, CITY
RAJASTHAN STAT
GROUND FLOOR,
OLD FATEHPURA
SOCIETY , UDAIPU
photo id card ,Pan
RTGS.

पर दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ रही।

श्रद्धालु सुमेरगंजमंडी रेलवे स्टेशन पर उतरकर 11 किमी की दूरी बस या जीप से तय कर मंदिर पहुंचते हैं। मंदिर क्षेत्र में बने पवित्र कुंडों में स्नान करने के बाद पूजा-अर्चना की जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से शरीर के सभी चर्म रोग दूर होते हैं। कई लोग अपने घरों में स्थापित पितृ देवताओं को पवित्र जल में स्नान करवाने के लिए मंदिर लाते हैं। ऐसा करने से घर में सुख-शांति और समस्याओं का निवारण होता है। हर महीने की चतुर्दशी के अवसर पर हजारों श्रद्धालु मंदिर पहुंचते हैं।

इसी के तहत भूगोल विभाग ... से आयोजित पोस्टर और मान चित्रांकन प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने अपनी रचनात्मकता और विषय की गहरी समझ का प्रभावशाली प्रदर्शन किया।

विभागाध्यक्ष राहुल सक्सेना ने बताया कि बीए प्रथम सेमेस्टर भूगोल के विद्यार्थियों में विषय की व्यावहारिक समझ विकसित करने के उद्देश्य से ये प्रतियोगिताएं कराई गईं। मान चित्रांकन प्रतियोगिता प्रभारी डॉ. जुबेर खान ने बताया कि निर्णायक के रूप में दिनेशकुमार शर्मा शामिल रहे। प्रतियोगिता प्रभारी डॉ. भारतेंदु गौतम ने बताया कि प्रथम स्थान खुशी ने प्राप्त किया, द्वितीय स्थान मेहविश और हिमानी प्रजापत ने साझा किया। तृतीय स्थान हेमंत बैरवा ने प्राप्त किया। विभागाध्यक्ष राहुल सक्सेना ने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों को भूगोल विषय को गहराई से समझने में मदद करती हैं। साथ ही उनकी रचनात्मक सोच को भी प्रोत्साहित करती हैं। कार्यक्रम में बीए प्रथम सेमेस्टर भूगोल के विद्यार्थी शामिल रहे।

ंगमंच पर बाल प्रतिभाओं की स्तुतियों को मिली सराहना

ंगारंग प्रस्तुति देती बाल प्रतिभाएं।

...का कॉलेज के रोहन एंड ग्रुप ने ...यल देशभक्ति के गीत वंदे मातरम पर प्रस्तुति से जोश जगा दिया। दर्शकों ने भारत माता की जय के खूब नारे लगाए। पाटन गर्ल्स कॉलेज की सिमरन ग्रुप ने पंजाबी सांग...आदर्श विद्या मंदिर की इशिता शर्मा ने रण में कूद पड़ी मां काली..., आर्यन एकेडमी कान्वेंट स्कूल की खुशी ने चांद सिफारिश, कीर्ति ने पैरोड़ी, सिद्धी, चंचल गुर्जर ने मारी बिंदणी के गोरे गोर... पर पर नृत्य किया। बालिका व संस्कृत स्कूल के छात्र-छात्राओं ने राजस्थानी गीतों पर प्रस्तुति दी। प्रतिभाओं को दर्शकों ने नकद पुरस्कार देकर उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम के अतिथि कोटा नगर निगम नेता प्रतिपक्ष विवेक राजवंशी का वाइस चेयरमैन राजविंता गोचर व मेला समिति ने स्वागत किया।

स्कूल के सर्वांगीण विकास में एसडीएमसी की भूमिका अहम

भास्कर न्यूज़ | हिंडौली

कस्बे के बीआरसीएफ कार्यालय में मंगलवार को एसएमसी व एसडीएमसी के प्रशिक्षण के लिए संदर्भ व्यक्ति प्रशिक्षण कार्यशाला हुई। इसमें स्कूल प्रबंधन, शिक्षण गुणवत्ता और समुदाय की भागीदारी को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए सीबीईओ बुद्धाराम ने कहा कि स्कूल के सर्वांगीण विकास में एसडीएमसी व एसएमसी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्कूल प्रबंधन समिति स्कूल और समाज के बीच मजबूत कड़ी का कार्य करती है। उन्होंने कहा कि जिस स्कूल की प्रबंधन समिति जागरूक और सक्रिय होती है, वह शिक्षा के हर क्षेत्र में आगे बढ़ता है। मुख्य संदर्भ व्यक्ति रमेश चौपदार ने कहा कि स्कूल के भौतिक विकास, नामांकन वृद्धि में समिति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अभिभावकों को भी स्कूल की समस्याओं के समाधान में सक्रिय भूमिका निभाने की आवश्यकता है। मुख्य अतिथि समग्र शिक्षा अभियान के जिला परियोजना समन्वयक दलीपसिंह गुर्जर रहे। विशिष्ट अतिथि कार्यक्रम अधिकारी बद्रीलाल शर्मा थे। संदर्भ व्यक्ति पुष्पेंद्रसिंह ने भी प्रशिक्षण सत्र संचालित किया। प्रशिक्षण प्रभारी पूरण सिंह ने बताया कि कार्यशाला में कुल 56 प्रतिभागियों ने भाग लिया। अरुण दाधीच, हरीश दुबे, कैलाश मयंक, लक्ष्मीकांत शर्मा, परमानंद शर्मा, बाबूलाल यादव, महेंद्र गौड़, बुद्धिप्रकाश शर्मा, कैलाश सैनी, हिमांशु गौतम, देवीकरण सिंह, अश्विनी दाधीच, रामप्रसाद सैनी, जोगेंद्र सिंह, अंबालाल गुर्जर, मदन सुधांशु शामिल रहे।

..., देशभर से 30 हजार स्काउट-गाइड शामिल होंगे

राष्ट्रीय जंबूरी के लिए रवाना

जंबूरी के लिए रवाना करते हुए।

... के रोहट में हुई थी। ट्रेनिंग काउंसलर राजेंद्रप्रसाद सरोया, नीरजकुमार शर्मा, सबरीन नाज, दल प्रभारी गिरिराज बैरवा, मायाराम मीणा, कल्पना ओझा, प्रशासनिक अधिकारी कमलनयन मीणा, जसपाल सिंह, श्यामसुंदर प्रजापत अन्य रोवर रेंजर शामिल रहे।

भास्कर नॉलेज

लगातार प्रथम रहा राजस्थान

राजस्थान प्रदेश के स्टेट चीफ कमिश्नर निरंजन आर्य के नेतृत्व में इस बार राजस्थान से 1,700 स्काउट-गाइडों का दल 21 नवंबर को जयपुर से विशेष ट्रेन से रवाना होगा। इससे पहले दल के सदस्य जयपुर के जगतपुरा प्रशिक्षण केंद्र पर तीन दिन विभिन्न प्रतियोगिताओं का अभ्यास करेंगे। लंबे समय से सभी राष्ट्रीय जंबूरियों में राजस्थान लगातार प्रथम स्थान प्राप्त कर गौरव बढ़ाता रहा है। इसमें जिले के स्काउट -गाइड्स का योगदान भी रहता है।

Regional Office:
Rajasthan State Pollution Control Board
Plot No- D-15. Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi
E-mail: rorpch.bundi@gmail.com
No-: RPCB/RO Bundi/PUB-158/1613 Date 14/11/25

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है मैसर्स ओएसिस ग्रीन फ्यूल प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-जलोदी, ठीकरियां कलां एवं छपावदा, तहसील-तालेड़ा, जिला बून्दी (राज.) द्वारा अनाज आधारित डिस्टिलरी उद्योग (Grain Based Distillery Plant) वर्तमान क्षमता 180 KLD (Ethanol) से बढ़ाकर 380 KLD (180 KLPD Ethanol & 200 KLPD RS/ENA/ Ethanol) एवं सहउत्पादन ऊर्जा संयंत्र क्षमता 4.5 मेगावॉट से बढ़ाकर 10 मेगावॉट करने से सम्बन्धित प्रस्तावित परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
2. चूंकि, मैसर्स ओएसिस ग्रीन फ्यूल प्राईवेट लिमिटेड को उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व जन सुनवाई की आवश्यकता है। उद्योग द्वारा पर्यावरणीय जनसुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
3. चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एसओ 1533 (ई) दिनांक 14.09.2006 एवं समय-समय पर संशोधनों के प्रावधानों के अनुसरण में जनसुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
4. उक्तपरियोजना से सम्बन्धित ड्राफ्ट पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख (हिन्दी व अंग्रेजी में) निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है -
I- कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी। II- निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240, द्वितीय तल, उ.प. (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
III- सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4. संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
IV- एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-209 व ए-218, अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर।
V -कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जिला बून्दी।
VI- कार्यालय महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, जिला बून्दी VII- कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा. जिला बून्दी।
VIII- कार्यालय पंचायत समिति, तालेड़ा, तहसील-तालेड़ा, जिला बून्दी।
IX -कार्यालय ग्राम पंचायत बाजड़, तहसील-तालेड़ा, जिला- बून्दी।
X -कार्यालय ग्राम पंचायत बडून्दा, तहसील-तालेड़ा, जिला- बून्दी।
XI -कार्यालय ग्राम पंचायत जमीतपुरा, तहसील-तालेड़ा, जिला- बून्दी।
XII-. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी, जिला बून्दी।
अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी के पत्रांक प.12-12 ( ) राजस्व / 2025/9383-91 दिनांक 13.11.2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सुचित किया जाता है कि उक्तपरियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित जन सुनवाई हेतु दिनांक 23.12.2025 (मंगलवार) को स्थान -भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत बाजड़, पंचायत समिति तालेड़ा, तहसील-तालेड़ा, जिला बून्दी में समय प्रातः 11:00 बजे उपस्थित होकर अपने लिखित एवं मौखिक आपत्ति / आक्षेप / सुक्षाव प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही इस सम्बन्ध में आपत्ति / आक्षेप / सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी (राज.) में भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

(शिव कुमार) क्षेत्रीय अधिकारी,